

पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।

Four Year Under Graduate Programme under Choice Based Credit System (CBCS) के अन्तर्गत U.G (Regular) सत्र 2026-30 में नामांकन हेतु विद्यार्थियों के लिए दिशा-निर्देश।

U.G. (Regular) सत्र 2026-30 के लिए Four Year Under Graduate Programme under Choice Based Credit System (CBCS) के अन्तर्गत पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना के सभी कोटि के महाविद्यालयों में प्रथम सेमेस्टर में नामांकन हेतु विद्यार्थियों के लिए निर्देश तय किये गये हैं, जो निम्नवत हैं:-

(1) Online Application form fill करते समय विद्यार्थियों के द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य है।

विद्यार्थी सर्वप्रथम अपना Login ID एवं password जनेरेट करेंगे। उसके उपरांत Online Application भरते समय अपनी सभी प्रविष्टियों को ध्यानपूर्वक सही-सही अंकित करेंगे।

(क) समर्थ पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया- Step-I (Profile Creation)

(i) सही नाम email ID, जन्मतिथि, मोबाईल नं० के साथ अपना User ID बनायें।

(ii) User Id एवं password से अपना Login करें।

(iii) Login करने के पश्चात अपना Personal detail, Family detail, Address, Quota, AAPAR ID, AADHAR No. अंकित करते हुए Save & Next करें। (विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करते समय ID Proof में अपना 12 अंकों का आधार संख्या अंकित करें अन्यथा आधार संख्या सही नहीं रहने पर भविष्य में उन्हें डिग्री लेने में परेशानी हो सकती है)

(ग) आवेदन करते समय अपने Profile में निम्नांकित Document upload करें।

(i) फोटो- जिसमें Face 80% visible हो (10kb to 500 kb) jpg, jpeg format only.

(ii) Signature (10kb to 500 kb) jpg, jpeg format only.

(iii) Domicile certificate (if applicable) (10kb to 500 kb) jpg, jpeg format only.

(iv) जाति प्रमाण पत्र (If applicable) (10kb to 500 kb) jpg, jpeg format only.

(v) Quota (If applicable) (10kb to 500 kb) jpg, jpeg format only.

(vi) ID Prof (AADHAR Card only) (10kb to 500 kb) jpg, jpeg format only.

(वर्णित बिन्दुओं को पूरा करने के पश्चात विद्यार्थी ये अवश्य सुनिश्चित करें लें कि उनके द्वारा अंकित की गयी सभी जानकारी सही है। एक बार Profile Submit होने के पश्चात उन्हें सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा।

(घ) Step-II (Programme Selection)

12/05/26

- (i) Apply for Programme के बटन पर Click, करने के पश्चात अपने शैक्षणिक योग्यता के अनुसार 01 (एक) विषय का चयन करते हुए किसी भी कोटि के 10 (दस) महाविद्यालयों का चयन प्राथमिकता के क्रम में करेंगे। यदि मेधा सूची में आपका नाम प्रकाशित होता है तो जिन 10 (दस) महाविद्यालयों एवं विषय में आपने नामांकन का विकल्प दिया है उसी में से आपको मेधा के अनुसार महाविद्यालय आवंटित होगा है। विश्वविद्यालय अपने स्तर से आपके दिए गए महाविद्यालयों के विकल्प के अतिरिक्त कोई महाविद्यालय नामांकन के लिए आवंटित नहीं करता है।
- (ii) मैट्रिक का प्राप्तांक, कुल अंक, उत्तीर्णता वर्ष बोर्ड एवं विषय को ध्यानपूर्वक भरें। (10<sup>th</sup> का Marksheet या Certificate pdf format में ही upload करें)
- (iii) इन्टरमीडिएट/समकक्ष (+2) के 05 (पाँच) विषय के ही अंक को अंकित करेंगे। विद्यार्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे केवल 05 (पाँच) विषय का नाम और अंक अंकित करें। किसी भी अतिरिक्त विषय एवं उसके अंक को न लिखें। (12<sup>th</sup> का Marksheet या Certificate pdf format में ही upload करें)
- (ड.) Step-III (Fee Payment)
- (i) विद्यार्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे केवल उसी विषय का शुल्क जमा करें जिस विषय में वे नामांकन चाहते हैं। शुल्क भुगतान का मौका केवल एक बार ही दिया जाएगा।
- (ii) शुल्क भुगतान करने के उपरान्त विद्यार्थी अपने भरे हुए आवेदन की प्रति को Download करके अपने पास रख लें। साथ ही उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपना पंजीकृत email ID एवं Password को सुरक्षित रखें।
- (च) विद्यार्थी Four Year Under Graduate Programme under Choice Based Credit System (CBCS) में नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म में Major Course में उसी विषय का चुनाव करेंगे जिसमें वे B.A/B.Sc./B.Com करना चाहते हैं।
- (छ) विद्यार्थी MJC subject का चयन करने हेतु अधिकतम 01 विषय (Subjects) का विकल्प (option) दे सकते हैं।
- (i) +2 विज्ञान संकाय से उत्तीर्ण विद्यार्थी – विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय में से किन्हीं 01 Major विषय का चयन कर सकते हैं।
- (ii) +2 वाणिज्य संकाय से उत्तीर्ण विद्यार्थी – वाणिज्य एवं कला संकाय में से किन्हीं 01 Major विषय का चयन कर सकते हैं।
- (iii) +2 कला संकाय से उत्तीर्ण विद्यार्थी – केवल कला संकाय में से किन्हीं 01 Major विषय का चयन कर सकते हैं।
- (iv) +2 समकक्ष से उत्तीर्ण विद्यार्थी – विज्ञान, वाणिज्य, कला संकाय में से किन्हीं 01 Major विषय का चयन कर सकते हैं, परन्तु ITI से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से हिन्दी एवं अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
- (2) आरक्षण का लाभ:- यदि कोई विद्यार्थी बिहार सरकार के द्वारा प्रदत्त आरक्षण के श्रेणी में आता है या उसका लाभ लेना चाहता है तो वह अपनी जाति के अनुसार आरक्षण की श्रेणी यथा- BC-I, BC-II, EWS, SC, ST में से सही श्रेणी का चयन करके Online नामांकन फार्म में प्रविष्टि करेंगे। यदि किसी भी कारण से आपने अपनी जाति का गलत श्रेणी में आरक्षण विकल्प का चयन कर

लिया है तो ऐसी स्थिति में आपका नामांकन रद्द हो जाएगा। आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही होगा।

- (3) **मेधा सूची का निर्धारण:-** मेधा सूची का निर्धारण MJC विषय के लिए +2 परीक्षा के कुल 500 प्राप्तांक का आधार, महाविद्यालय का विकल्प एवं आरक्षण की श्रेणी में उपलब्ध सीटों की संख्या के आधार पर की जाती है। यह मेधा सूची Software Generated होता है।
- (4) **Slide Up:-** छात्र अगर अपने चयनित महाविद्यालय (Allotted college) से संतुष्ट नहीं हैं तो वे अगले मेधा सूची में जाने हेतु **Slide Up** का विकल्प चुनेंगे। यदि विद्यार्थी **Slide Up** का विकल्प नहीं देंगे तो उन्हें अगले मेधा सूची में शामिल नहीं किया जायेगा। **Slide Up** की सुविधा दो बार दी जाएगी। यदि छात्र को प्रथम वरीयता (first option) का कॉलेज मिल गया है तो उन्हें **Slide Up** की सुविधा नहीं दी जाएगी और नामांकन न लेने पर वैसे छात्र को अगले मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।
- (5) कोटा सीट के अन्तर्गत नामांकन:- कोटा सीट यथा-
- (a) **NRI/Ward-** Ward के लिए पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का स्थाई कर्मी (शिक्षक/शिक्षकेत्तर) का पुत्र/पुत्री होना अनिवार्य है।
- (b) **Donar-** केवल डिग्री सम्बद्ध महाविद्यालयों के Donar का पुत्र/पुत्री होना अनिवार्य है।
- (c) **Sports-** के लिए National/State एवं District level Championship के लिए चयनित होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- (d) **Fine Arts-** के लिए National/State एवं District level Championship के लिए चयनित होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- (e) **NCC/NSS-** के लिए NCC का B अथवा C का प्रमाण पत्र होना चाहिए। NSS के लिए National Camp में participation का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- (f) **Ward of Army/Ex-Army-** के लिए उनका पुत्र/पुत्री होना अनिवार्य है।

**NOTE:-** कोटा सीट के अन्तर्गत नामांकन लेने के इच्छुक विद्यार्थी को उससे संबंधित प्रमाण पत्र (Certificate) की प्रति Online नामांकन फार्म में upload करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनका दावा मान्य नहीं होगा। सही प्रमाण पत्र के नहीं रहने पर नामांकन नहीं होगा।

- (6) विद्यार्थियों को आवंटित महाविद्यालय में नामांकन के समय निम्नांकित सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ-साथ उसकी एक छायाप्रति ले जाना अनिवार्य है।
- (a) 10<sup>th</sup> Marksheets/Certificate (for age verification)
- (b) 12<sup>th</sup> Marksheets for verification
- (c) CLC/Migration original
- (d) Caste certificate (If applicable)
- (e) E.W.S certificate (If applicable)
- (f) Handicapped (If applicable)
- (g) Ward/NCC/NSS/Cultural/Ward of Army/Ex-Army (If applicable as per requirement)